(131)

कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2017-18 निगरानी

II/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2017/6326

27-12-2016

11-1-18

27/12/17

1. कैलाश पुत्र बाबूलाल
2. सतीश पुत्र कोमलप्रसाद
3. प्रकाश पुत्र मिश्रीलाल
4. संजीव पुत्र बाबूलाल
5. रामदयाल पुत्र सीताराम
6. संतोष पुत्र सीताराम
7. शिवनारायण पुत्र मिटठू
8. श्रीमती बृजेश पत्नी शिवनारायण
9. धीरज पुत्र गजनलाल सभी जाति धाकड़
10. सचिन पुत्र हरिओम जाति ब्राम्हण
11. नन्दकिशोर पुत्र मरिया जाति कलार

सभी निवासीगण ग्राम खिरखिरी तहसील करहाल जिला श्योपुर (म0प्र0)

.... आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

27/12/17
शाखा प्रभारी (रा.म.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12-10-17 न्यायालय श्रीमान कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक 08/2013-14 स्व. निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी ,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1. यह कि ग्राम खिरखिरी तहसील कराहल जिला श्योपुर में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 72/5मिन-1 रकवा 1.672 हैक्टर स्थित है जो आवेदक क्रंमाक 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा सर्वे क्रमांक 1124/मिन-1 रकवा 1.651 हैक्टर जो आवेदक क्रंमाक 2 के स्वायित्व व आधिपत्य की है, सर्वे क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/6326

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	